B.A. II (Hons) Indian Political System
Paper-III Pol.sc
C13 unit
Topic - भारतीय दलीय व्यवस्था
(Indian Party System)

राजनीतिक दल प्रजातंत्र की आधारशिला है। दोनों मे अत्यंत घनिष्ट संबंध है। राजनीति दलो को "प्रजातंत्र का प्राण" कहा जाता है। राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। इसलिए लोकतांत्रिक शासन को "दलीय शासन" भी कहा गया है।

प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, लेकिन जब तक राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तब तक जनता यह समझ नहीं पायेगी कि वह किसे अपना प्रतिनिधि चुने और किसे नहीं। राजनीतिक दल अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप देते है। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में दलों का अस्तित्व निश्चित है, और नियंत्रण शक्ति वास्तव में बहुमत दल के हाथों में होती है। राजनीतिक दलो को अदृश्य सरकार (Invisible Government) भी कहा गया है। प्रजातंत्र को व्यवहारिक बनाने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व बड़ा ही अनिवार्य हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक स्वस्थ और गतिशील राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता है। ऐसा वातावरण राजनीतिक दल ही बना सकते है। राजनीतिक दल वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा में भी सहायक होते है। विरोधी दल शासक दल को नियंत्रित करते है, इन्हीं के माध्यम से जनता संगठित रूप से अपने विरोध को अभिव्यक्त करती है। लार्ड ब्राइस ने भी कहा है कि कोई भी स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता है।

भारत में राजनीतिक दलों का विकास :— भारत में राजनीतिक दलों के विकास के दो चरण रहे है — स्वतंत्रता के पूर्व राजनीतिक दलों का विकास और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दलों का विकास

स्वतंत्रता के पूर्व राजनीतिक दलों का विकास :— भारत मे राजनीतिक दलों की विकसित परंपरा नहीं है, जैसा की ब्रिटेन तथा अमेरिका में। फिर भी ब्रिटिश शासन काल के प्रारंभिक दिनों में ही कुछ दलों के बुनियाद देखने को मिलते है। सार्वजनिक संगठन के रूप में

पूना की सार्वजनिक सभा, मद्रास की महाजन सभा तथा कलकत्ता का भारतीय संघ पुराने संगठनों में है। राजनीतिक दलों का विकास 1885 ई० में कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है। इसकी भी स्थापना एक राजनीतिक संगठन के रूप में न होकर सार्वजनिक संगठन के रूप में हुई। जिसका उद्देश्य भारतीयों को गैर-सरकारी संसद के रूप में कार्य करना था। शुरू में ब्रिटिश शासकों का सहयोग प्राप्त था, लेकिन थोड़े दिनों बाद साम्राज्यवाद की आलोचना तथा स्वराज्य की मांग ने ब्रिटिश शासकों के रुख में बदलाव आने लगा। उन्होंने महसूस किया यह संस्था ब्रिटिश साम्राज्य तथा ब्रिटिश नौकरशाही को समाप्त कर देना चाहती है। अतः उन्होंने इस संगठन के विरुद्ध भारतीय जनता को दूसरे संगठन की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने लगे।

उपरोक्त परिस्थिति में सर सैयद अहमद खाँ के नेतृत्व में एक राजनीतिक संगठन का 1906 ई० में जन्म हुआ, जिसे आल इंडिया मुस्लिम लिग कहा जाता है। यह एक साम्प्रदायिक संगठन था। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति पैदा करना तथा उनके राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना था। बाद में कांग्रेस की भाँति इसने भी स्वतंत्रता का नारा लगाया, लेकिन साथ ही देश का विभाजन कर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। जो अंततः पाकिस्तान के निर्माण में उत्तरदायी सिद्ध हुआ।

मुस्लिम लिग की स्थापना की प्रतिक्रिया स्वरूप 1911 ई० में एक और साम्प्रदायिक संगठन का जन्म हुआ, जिसे हिन्दू महासभा कहते हैं। इसका उद्देश्य हिन्दू जाति संस्कृति तथा हिन्दू सभ्यता की रक्षा तथा हिन्दू राष्ट्र के गौरव में वृद्धि और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था।

1920 ई० में नये दल उदार दल की स्थापना हुई सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इस दल की स्थापना की गयी। इस दल का उद्देश्य सांविधानिक पद्धति से लक्ष्य की प्राप्ति करना था। इसने निर्वाचन में भी भागलिया तथा विधानमंडल और मंत्रिमंडल में पद-ग्रहण भी किया इसकी स्थिति महत्वपूर्ण बनी रही।

20 वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों तक कांग्रेस उदारवादी, मुस्लिम लीग, तथा हिन्दू महासभा प्रमुख दल बने रहे।

Scanned with CamScanner

1920 ई० के बाद कई वामपंथी दलों का भी जन्म हुआ, जिनमें कुछ आज भी कायम है। दूसरा दल समाजवादी दल है, जिसकी स्थापना 1934 ई० में। 1948 ई० तक यह कांग्रेस की शाखा के रूप में कार्य करता रहा। इसके बाद कांग्रेस के अलग होकर एक स्वतंत्र दल के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया।

1937 ई० के बाद कई अन्य दलों का जन्म हुआ जिनमें रिपाब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी फारवर्ड ब्लाक तथा किसान पिजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी प्रमुख थे। बंगाल की टेररिस्ट पार्टी 1935 ई० के बाद कांग्रेस में विलीन हो गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में अनेक राजनीतिक दलों का अंत हो गया। सिर्फ वे दल ही जीवित रहे जो कुछ सिद्धान्तों तथा स्पष्ट नीतियों पर कायम रहें।

स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दल :— भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था की सरकार को अपनाया। संसदीय व्यवस्था की सरकार के संचालन के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है। संविधान में राजनीतिक दलों या उनके कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत राजनीतिक दलों की स्थापना और कार्यकरण के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। राजनीतिक दलों के नियमन एवं संचालन के लिए निर्वाचन आयोग को दिए गये अधिकार ने उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान की। निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को निबंधित करने और उन्हें चुनाव-चिन्ह देने का अधिकार दिया। बाद में संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदलाव का उल्लेख किया गया। इस तरह भारत में दलीय व्यवस्था को निबंधन और दल-बदलाव विरोधी प्रावधान के अतिरिक्त राजनीतिक दलों की पहचान और संचालन के लिए अन्य कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आजादी के बाद पहले से विद्यमान दलों के अतिरिक्त दर्जनों छोटे बड़े दल पैदा हुए। इनके अलग-अलग विचारधाराएं और कार्यक्रम हैं। विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जटिल सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत में ऐसी दलीय व्यवस्था का उदय नहीं हुआ जिसे एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था के तहत रखा जा सकता है, फिर भी आजादी के बाद से आजतक दलीय स्थिति निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरी है।

Scanned with CamScanner

(4)

1. एक दलीय प्रधानता (One Party dominance)
2. द्वि दलीय व्यवस्था की ओर रुझान (Trend towards two Party system)
3. प्राधान्य दलीय व्यवस्था (Hegemonic dominance)
4. बहुदलीय पद्धति और गठबंधन काल (Multi Party system and Coalition era)

1. एक दलीय प्रधानता :— स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक दल विद्यमान रहे। लेकिन 1977 ई तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानता बनी रही। केंद्र में और लगभग सभी राज्यों में इसका शासन कायम रहा। चुनावों में कांग्रेस को 50 प्रतिशत मत मिलते रहे, अन्य दलों की तुलना में यह काफी आगे रही। उदाहरणार्थ 1971 ई० में आम चुनाव में किसी दल को 10 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिले। 1967 ई० के आम चुनाव में कांग्रेस के प्राप्त मतों में भारी गिरावट आई। आठ राज्यों में सत्ता इसके हाथ से निकल गई। पुनः 1971 ई० में वह एक दलीय प्रधानता को प्राप्त कर लिया। लेकिन 1977 ई० में कांग्रेस की प्रधानता को गहरा धक्का लगा। उत्तरी भारत के कई राज्यों से तो इसका सफाया हो गया और केंद्र में सत्ता इसके हाथ से निकल गई। इस प्रकार, भारत से एक दलीय प्रधानता के युग का अंत हो गया।

2. द्विदलीय व्यवस्था की ओर रुझान :— 1977 ई० के आम चुनाव के बाद राजनीतिक दलों को पुनर्गठित होने का मौका मिला और द्विदलीय व्यवस्था के उदय की संभावना बढ़ गई। केवल दो ही दलों कांग्रेस और जनता दल को 75.8 प्रतिशत मत मिले। तीसरी के उम्मीदवारों की संख्या 1,222 थी जिसमें केवल 7 ही जीत पाए। द्विदलीय व्यवस्था के उदय और देश में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार के निर्माण से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र परिपक्व हो गया है। चार दलों के मिलकर बनी जनता पार्टी बिखर गई। इसमें सम्मिलित सभी दलों ने अपने को पुनर्जीवित कर नये दल के रूप में सामने आए। पुनः 1980 के चुनाव में कांग्रेस की प्रधानता कायम हो गई।

3. प्राधान्य दलीय व्यवस्था :— 1980 के आम चुनाव के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था में पुनः एक दल की प्रधानता हो गयी। लेकिन यह दलीय व्यवस्था पहले के व्यवस्था से

Scanned with CamScanner

कई माने में भिन्न थी। पहली भिन्नता मे एक नेता का एकाधिकार कायम हुआ और इंदिरा गाँधी सर्वोपरि नेता बन गई। दूसरी विशेषता शासक एवं विरोधी दलों के संबंध मे बुनियादी बदलाव आगया। 1977 ई० के पूर्व एक दलीय व्यवस्था में कांग्रेस की प्रधानता थी फिर भी शासकदल विरोधी दलों को सम्मान देते थे। लेकिन 1977 के जनता पार्टी की चुनौती ने कांग्रेस के नेताओं मे असुरक्षा के भाव पैदा कर दी, इस प्रकार शासक दल दूसरे दलों की भागीदारी का कट्टर विरोधी हो गये, सहमति की राजनीति का अंत हो गया।

नेतृत्व - आधृत दलिय व्यवस्था का एक अन्य कारण छोटे-छोटे राजनीतिक तथा कई राज्यों मे सबल राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इन सभी दलों मे किसी मुद्दे पर आम सहमति बनाना आसान नहीं था। इस कारण भी मुख्य राष्ट्रीय दल में एक व्यक्ति आधिपत्य बढ़ गया। 1984 के आम चुनाव के बाद तो यह दलीय व्यवस्था अत्याधिक दृढ़ हो गई।

4 बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन काल :— दिसम्बर 1989 के बाद बहुदलीय व्यवस्था उभरकर सामने आई। 1967 के बाद से ही बहुदलीय व्यवस्था जड़ जमाने लगी थी देश के अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हो गई थीं। 1989 के आम चुनाव ने केन्द्र में दो माने में राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। पहला, पहली बार केन्द्र में एक गठबंधन सरकार की स्थापना हुई। दूसरा, पहली बार केंद्र मे दलीय व्यवस्था का स्वरूप बहुदलीय हुआ। 1991 1996, 1998, 1999 और 2004 के आम चुनावों ने इस स्थिति को ~~[illegible]~~ और दृढ़ बना दिया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अन्दर से और बाहर से अनेक दलों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस की या किसी दल की प्रधानता समाप्त हो गयी। गठबंधन सरकार हकिकत बन गई है। प्रायः सभी दल यह मान कर चल रहे है कि भविष्य लंबे समय तक गठबंधन सरकार का है।

अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी सरकार की दलीय व्यवस्था की सफलता बहुत से अन्य कारकों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

—— x ——

Scanned with CamScanner